रायपुर दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 2-121/दो/आठ-परि/05.— राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 113 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को सभी प्रकार के माल वाहन के अनुज्ञा-पत्रों में शर्तें जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देता है :—

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में दी गई शर्तें राज्य में जारी अथवा जारी होने वाले समस्त माल वाहन परमिट में तथा अन्य राज्यों के माल वाहन परमिट जिसका प्रतिहस्ताक्षर छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है, उनमें संलग्न की जायेगी :—

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाले प्रत्येक मालयान के अनुज्ञा-पत्रों की निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य शर्तें होंगी :—

(एक) धारा 113 की उप-धारा (1) के उद्देश्यों के लिए किसी भी मालयान में सकलयान भार (जो उस वाहन के पंजीयन पुस्तिका में अंकित है) से अधिक भार नहीं ढोया जायेगा.

(दो) जहां राज्य शासन द्वारा धारा 115 के अन्तर्गत किसी मार्ग अथवा क्षेत्र में मालयान अथवा अन्य मोटरयानों का उपयोग प्रतिषेधित अथवा निर्बंधित किया गया हो अथवा किया जाता है तो उस प्रतिषिद्ध अथवा निर्बंधित मार्गों अथवा क्षेत्रों में उक्त आदेश के अनुसार लगाई गई रोक की सीमा से अधिक भार नहीं ढोया जायेगा.

(तीन) जहां राज्य के किसी भी जिले में यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 115 के अंतर्गत किसी मार्ग अथवा क्षेत्र में मालयान अथवा अन्य मोटरयानों का उपयोग प्रतिषेधित अथवा निर्बंधित किया गया हो तो उस प्रतिषिद्ध अथवा निर्बंधित मार्गों अथवा क्षेत्रों में उक्त आदेश के अनुसार लगाई गई रोक की सीमा से अधिक भार नहीं ढोया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम कोरबा की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एतद्द्वारा खसरा नंबर 188/1 की 6.60 एकड़ की समाविष्ट भूमि कोरबा नगर स्थित जिला कोरबा (1) उत्तर में पावरहाउस रोड की ओर जाने वाला मार्ग (2) दक्षिण में कोरबा रोड मुख्य मार्ग (3) पूर्व में ईन्लाजाईन 182 (4) पश्चिम डब्ल्यू.सी.एल. की ओर जाने वाला मार्ग, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु कोरबा में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार आयुक्त नगर निगम कोरबा को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.